(9)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 29/2022

राकेश पुत्र चिरंजीलाल लोनीवाल, निवासी प्लाट नं0 14, वार्ड नं0 7, चिडावा, जिला झुंझुनूं, मो0न0 9920029926

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 23.02.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 25.01.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 29/2022 पर दिनांक 25.01.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/225–226 दिनांक 25.01.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक न्याय/2022/62 दिनांक 22.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना नगर पालिका चिडावा से संबंधित है। इस कार्यालय के पत्रांक उपखण्ड आरटीआई/2021/30 दिनांक 02.02.2022 द्वारा नगर पालिका चिडावा से सूचना चाही गई थी जो कि आदिनांक तक अप्राप्त है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक न्याय/2022/62 दिनांक 22.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना नगर पालिका चिडावा से संबंधित है। उनके कार्यालय के पत्रांक उपखण्ड आरटीआई/2021/30 दिनांक 02.02.2022 द्वारा नगर पालिका चिडावा से सूचना चाही गई थी जो कि आदिनांक तक अप्राप्त है। चूंकि प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चिडावा एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चिडावा को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 23.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.16 15:35:54 IST
Reason: SelfAttested

(एल.एस. कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं